



प्रेस नोट:- दिनांक 12.10.2026

थाना मंसूरपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के वांछित अभिगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक महोदय “मेरठ जोन मेरठ” एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक महोदय “सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर” के निर्देशन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद मुजफ्फरनगर श्री सूरज कुमार राय के पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय, जनपद मुजफ्फरनगर के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी महोदय खतौली के कुशल नेतृत्व में थाना मंसूरपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 11.10.2026 को स्वास्तिक फैक्ट्री एनएस 58 हाइवे पर टायर/ट्यूब बनाने के काम को लेकर हुए जान लेवा हमले में आवेदक भूपेन्द्र पुत्र कवरपाल सिंह निवासी ग्राम लच्छेडा थाना मंसूरपुर जिला मु0नगर द्वारा एक लिखित तहरीर बाबत अभिगण 1. दीपांशु पुत्र सुखपाल निवासी ग्राम नरा थाना मंसूरपुर जिला मु0नगर 2. प्रियान्शु पुत्र सुखपाल निवासी ग्राम नरा थाना मंसूरपुर जिला मु0नगर द्वारा जान से मारने की नियत से आवेदक के सिर पर लोहे की राँड से हमला कर देने को लेकर वादी के सिर में गम्भीर चोट लग जाने के सम्बन्ध में दी गयी थी जिस पर थाना मंसूरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 299/2026 धारा 109(1)/115(2)/351(2)/3(5) बीएनएस पंजीकृत कर तत्काल कार्यवाही करते हुए वांछित अभिगण दीपांशु व प्रियान्शु उपरोक्त को घटना में प्रयुक्त लोहे की राँड के साथ स्वास्तिक फैक्ट्री के पास से गिरफ्तार किया गया। अभिगण को समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।



गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. दीपांशु पुत्र सुखपाल निवासी ग्राम नरा थाना मंसूरपुर जिला मु0नगर
2. प्रियान्शु पुत्र सुखपाल निवासी ग्राम नरा थाना मंसूरपुर जिला मु0नगर

बरामदगी:-

1. एक अदद लोहे की राँड (घटना में प्रयुक्त)

(अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास)

1. मु0अ0सं0 299/2026 धारा 109(1)/115(2)/351(2)/3(5) बीएनएस चालानी थाना मंसूरपुर जिला मु0नगर

पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 ललित राजपूत, थाना मंसूरपुर जनपद मु0नगर
2. का0 1110 ललित, थाना मंसूरपुर जनपद मु0नगर
3. का0 298 बलजीत, थाना मंसूरपुर जनपद मु0नगर

(विपिन कुमार त्यागी)
प्रभारी निरीक्षक
थाना मंसूरपुर
जिला मु0नगर